

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी ऐक्ट) अयोध्या

उपस्थित:- राकेश कुमार षष्ठम, एच.जे.एस.

J.O.Code No.U.P. 6115

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या-120/2025

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०-1044/2025

C.N.R No.UPFZ01-006349-2025

रामू बनाम जगजीवन पाण्डेय आदि

प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना-कुमारगंज, जिला-अयोध्या।

दिनांक-13.03.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.

1. प्रार्थी रामू द्वारा विपक्षीगण जगजीवन पाण्डेय आदि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में संक्षेप में कहा है कि प्रार्थी पेशे से राजगीर है जो ठेका लेकर घर बनाने का काम करता है। विपक्षी जग जीवन प्रसाद पाण्डेय के घर की नींव भरने का ठेका मु० 1,10,000 (एक लाख दस हजार) रूपया का हुआ, जिसे प्रार्थी मजदूर लगाकर काम को पूरा करके दिनांक 06.05.2024 को सुबह लगभग 9 बजे विपक्षी जगजीवन पाण्डेय से अपनी मजदूरी मांगने गया तो विपक्षी जगजीवन पाण्डेय ने कहा कि अभी तो नींव भरा है घर बनाने के बाद ही मैं पैसा दूंगा तो प्रार्थी के यह कहने पर कि हमारा आपका ठेका नींव भरने का तय था हमने अपना काम कर दिया अब नींव तक का पैसा दे दीजिए तो विपक्षी जग जीवन पाण्डेय व उनकी पत्नी रामा देवी व उनके पुत्र आदर्श व पुत्री कृति द्वारा प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देकर लाठी डन्डा व जूता चप्पल से मारने लगे और कहाँ कि साले चमार मादरचोद तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम हम लोगो से जबान लडाओगें। प्रार्थी की गोहार पर गांव के बसन्तलाल, निशा, विनोद आदि लोगो के आ जाने व बीच बचाव करने पर प्रार्थी की जान बची किन्तु विपक्षीगण द्वारा धमकी दी गयी कि यदि पुनः पैसा मांगने आये तो मादर चोद चमार साले अबकी बार जान से मार देंगे। प्रार्थी को काफी चोटे आयी है, जिसकी सूचना उसी दिन दिनांक 06.05.2024 को केशवपुर चिलबिला चौकी व थाना कुमारगंज पर दिया किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुनः दिनांक 26.09.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अयोध्या को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने पूर्व में उपरोक्त घटना के संबंध में एक प्रार्थनापत्र 156(3) जा० फौ० श्रीमान जी के समक्ष दाखिल किया था जिसका सी०आर० नं० 87/2024 बउनमान रामू बनाम जगजीवन जो प्रार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 31.07.2024 को निरस्त कर दिया गया है।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, रामू के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व चिकित्सीय आख्या की छायाप्रति व डाक रसीद प्रस्तुत किया है।

3. थाना कुमारगंज से प्रेषित आख्या के अनुसार उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर एफ०आई०आर दर्ज नहीं है।

4. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी तथ्य प्रार्थी की जानकारी में हैं। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है जिसकी विवेचना पुलिस से कराया जाना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2007(59) ए०सी०सी 739** तथा **नरेश कुमार बाल्मीकि व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 नं० 14443/2022** निर्णीत दिनांक 17.10.2022 के आलोक में प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करके मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी रामू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक-29.05.2026 को पेश हो।

(राकेश कुमार षष्ठम)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी ऐक्ट
अयोध्या